संख्या-350/2018/28/22-2-2018-17(08)/2018

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 19 अप्रैल, 2018**

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शिवशंकर ऊर्फ चौकीदार पुत्र श्री चन्द्रपाल, निवासी जनपद-फर्रूखाबाद की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-45933/प्रोबेशन-3/फार्म-ए (एम-21-12-2017) दिनांक-29-12-2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र दिनांक 29-12-2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी शिवशंकर ऊर्फ चौकीदार पुत्र श्री चन्द्रपाल, जो निवासी नीवलपुर, थाना-शमशाबाद, जनपद-फर्रूखाबाद का रहने वाला है। बन्दी ने दिनांक 08-08-1993 को समय सुबह लगभग 07:15 बजे भारत सिंह की लड़की ऊषा देवी अपनी छोटी बहन के साथ खेत से लौट रही थी, के साथ बलात्कार किया तथा विरोध करने पर चाकू से हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-47/1993 में भा0द0वि0 की धारा-504, **506, 376**/511, 302 के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश (द0प्र0क्षे0), फर्रूखाबाद के आदेश दिनांक 12.12.2000 द्वारा मृत्यु दण्ड के दण्डित किया गया है। उक्त दण्ड के विरूद्ध बन्दी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में क्रिमिनल अपील सं0-3416/2000 योजित की गयी। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 22.02.2002 द्वारा उक्त अपील को निस्तारित करते हुए मृत्यु दण्ड की सजा को आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 18.03.2017 तक 24 वर्ष 03 माह 27 दिन की अपरिहार सजा तथा 30 वर्ष 03 माह 28 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट तथा जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी ने दिनांक 08-08-1993 को अपनी छोटी बहन के साथ खेत से लौट रही ऊषा देवी के साथ बलात्कार किया व विरोध करने पर चाकू मार कर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, अपराध करने में अशक्त न होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, जेल में आगे निरूद्ध

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

रखने का सार्थक प्रयोजन होने, की पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता, जघन्यता एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी शिवशंकर ऊर्फ चौकीदार पुत्र श्री चन्द्रपाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी शिवशंकर ऊर्फ चौकीदार (बन्दी संख्या-15176) पुत्र श्री चन्द्रपाल, निवासी जनपद-फर्रूखाबाद के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-350/2018/28(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-फर्रूखाबाद।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश सख्या-350/2018/28/22-2-2018-17(08)/2018
दिनांक 19 अप्रैल, 2018 का संलग्नक
<u>सरकार के आदेश</u>

जिला कारागार, सीतापुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शिवशंकर ऊर्फ चौकीदार (बन्दी संख्या-15176) पुत्र श्री चन्द्रपाल, निवासी नीवलपुर, थाना-शमशाबाद, जनपद-फर्रूखाबाद का निवासी है। बन्दी ने दिनांक 08-08-1993 को समय सुबह लगभग 07:15 बजे भारत सिंह की लड़की ऊषा देवी अपनी छोटी बहन के साथ खेत से लौट रही थी, के साथ बलात्कार किया तथा विरोध करने पर चाकू से हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-47/1993 में भा0द0वि0 की धारा-504, 506, 376/511, 302 के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश (द0प्र0क्षे0), फर्रूखाबाद के आदेश दिनांक 12.12.2000 द्वारा मृत्यु दण्ड के दण्डित किया गया है। उक्त दण्ड के विरूद्ध बन्दी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में क्रिमिनल अपील सं0-3416/2000 योजित की गयी। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 22.02.2002 द्वारा उक्त अपील को निस्तारित करते हुए मृत्यु दण्ड की सजा को आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 18.03.2017 तक 24 वर्ष 03 माह 27 दिन की अपरिहार सजा तथा 30 वर्ष 03 माह 28 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट तथा जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी ने दिनांक 08-08-1993 को अपनी छोटी बहन के साथ खेत से लौट रही ऊषा देवी के साथ बलात्कार किया व विरोध करने पर चाकू मार कर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, अपराध करने में अशक्त न होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, की पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता, जघन्यता एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी शिवशंकर ऊर्फ चौकीदार पुत्र श्री चन्द्रपाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in